

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(4)एमई/ग्रुप-1/94

जयपुर, दिनांक : 13 JUN 2018

आदेश

डॉ. निशि सौख्या, वरिष्ठ आचार्य, ई.एन.टी. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2018 के क्रम में दिनांक 16.07.2018 मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. निशि सौख्या, वरिष्ठ आचार्य, ई.एन.टी. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके पत्रांक 11192 दिनांक 24.04.2018 के क्रम में।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. डॉ. निशि सौख्या, वरिष्ठ आचार्य, ई.एन.टी. विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव